इ्रिल 2 **फर्द अहकाम** प्रतीक्षा मेहता

बनाम

सन्

25/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप की	विशेष विवरण
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर बहस हेतु अवसर चाहा वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 20/9/24 को पेश होवें। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 136 दिनांक 9/10/24 को पेश होवें। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया। आ.कि.हो। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 151 CPC व बहस प्रार्थना पत्र 136 LR Act हेतु दि० 16/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर बहस प्रार्थना पत्र 136 व 151 CPC सुनी गई ... पत्रावली का अवलोकन ... दस्तावेजात ... 136 व 151 CPC ... प्रार्थना पत्र ... खारिज किया जाता है ... पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र संख्या : 25 / 2024
निर्णय दिनांक : 16.10.2024

1. ईश्वर कुमार पुत्र मदनलाल
2. जुगल किशोर पुत्र मदनलाल
3. महेश कुमार पुत्र मदनलाल
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल

समस्त जाति माहेश्वरी, निवासीयान एम–36, महेश कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स प्रवीण मेहता बिल्डर्स प्रा0लि0 रजि0 ऑ0 जी–3, झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड रोड, जयपुर।
2. कैलाश पुत्र श्रीनारायण
3. जगदीश पुत्र श्रीनारायण
4. भंवरलाल पुत्र श्रीनारायण
5. मुकेश पुत्र श्रीनारायण
6. रूपनारायण पुत्र श्रीनारायण,
7. रामगोपाल पुत्र श्रीनारायण
8. नारायणी देवी पुत्री श्रीनारायण
9. रामेश्वरी देवी पुत्री श्रीनारायण
10. नाथूलाल पुत्र कजोडमल
11. शंकरलाल पुत्र कजोडमल
12. श्रवणलाल पुत्र कजोडमल

    समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने [illegible] क्रय पत्र दिनांक 12.03.1991 को हाल आराजी कृषि भूमि खसरा [illegible] है0 [illegible] खसरा नम्बर 517 रकबा 0.52 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 [illegible] वाके ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर क्रय किया। जिसका नामान्[illegible]करण संख्या 5 दिनांक 06.12.1991 को प्रार्थीगण के नाम से खोल दिया गया। जिसका उसी अनुसार जमाबन्दी में इन्द्राज हो गया। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर क्रय करने की दिनांक से काबिज काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा आज भी काबिज काश्त है। बदर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...61 दिनांक 14.12.1995 के खसरा संख्या 517 में से 0.07 है0 कम कर ...दो लगायत नौ के पिता श्रीनारायण व अप्रार्थी संख्या दस लगायत बारह ...कजोडमल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई। जिसका ...र 517/1155 रकबा 0.07 है0 बना दिया। उक्त कार्यवाही की सूचना ...को नही दी गई, जबकि दौराने सैटलमेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ...रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई कानूनन अधिकार नही होता है। इस ...भूप्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य ...है। इस कारण न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या दो ...नौ के पिता श्रीनारायण व अप्रार्थी संख्या दस लगायत बारह के पिता ...मल ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 को अप्रार्थी संख्या ...को विक्रय कर दिया तथा वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से ...स्व रिकार्ड में अंकित है परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त ...स्तुर चला आ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल निकलवाने ...राजस्व रिकार्ड में भूमि कम होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण दिनांक 06.02. ...24 को आधार वर्ष की जमाबन्दी निकलवायी। जिस पर उक्त कार्यवाही का पता ...गने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या तेरह के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस ...अप्रार्थी संख्या तेरह ने कहा कि उक्त कार्यवाही दौराने सैटलमेन्ट की गई है। इस ...कारण उक्त कार्यवाही के विरूद्ध आपको सक्षम न्यायालय से कार्यवाही अमल में जानी ...पड़ेगी। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रिकार्ड दुरूस्ती हेतु श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम ठीकरिया, पटवार हल्का ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या एक के नाम से हजब कर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 517 रकबा 0.45 है0 में शामिल कर पूर्व की भांती प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 517 का रकबा 0.52 है0 किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 15.02.2024 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 13 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 13 की ओर इस आशय का जवाब पेश किया कि ग्राम ठीकरिया के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 138 के खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 मैसर्स प्रवीण मेहता बिल्डर्स प्रा0लि0 ... 3, झारखण्ड रोड, जयपुर हि 1/2 व डायरेक्टर प्रवीण ... मेहता निवासी 3307 ए, फरीदाबाद, मैसर्स प्रवीण मेहता बिल्डर्स ... झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड रोड, जयपुर हि 1/2 खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा खाता नम्बर 153 में खसरा नम्बर 516 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 517 ...बा 0.45 है0 किता 2 कुल रकबा 1.45 है0 में खातेदारी ईश्वर कुमार पुत्र मदनलाल हि 1/8, जुगलकिशोर पुत्र मदनलाल हि 1/8, महेश कुमार पुत्र मदनलाल हि 5/8, राजेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल हि 1/8 जाति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: SelfAttested

नि. सी–21, महेश कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर के दर्ज रिकार्ड है। वादी
ठीकरिया का गत खसरा नम्बर 214 रकबा 5–14 बीघा भूमि दिनांक 18.03.
उप पंजीयक सांगानेर के यहां विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया था।
मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर 214 के रकबा 5–14 बीघा का वर्तमान
नम्बर 516 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.45 है0 वादी की
में वर्तमान दर्ज रिकार्ड है। 5–14 बीघा का हैक्टेयर में रूपान्तरण करने पर
0 रकबा बनता है जो गत रकबें के मुकाबले भी 0.01 है0 अधिक दर्ज रिकार्ड
ताबिक मिसल बंदोबस्त के खाता संख्या 97 में खसरा नम्बर 516 रकबा 1.00 है0
नम्बर 517 रकबा 0.52 है0 दर्ज है जो वादी से पूर्व के विक्रेता के नाम दर्ज है।
खसरा नम्बर 214 रकबा 5–14 बीघा का हैक्टेयर में परिवर्तित रकबा 1.44 है0 ही
के कारण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से दर्ज खसरा नम्बर 517 रकबा 0.52 है0
में दर्ज कर दिया गया जबकि मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 517 का रकबा
है0 दर्ज है जो सही है। इसी वजह से भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 517 में
.07 है0 भूमि कम कर खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 दर्ज किया गया।
मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 215 का भाग है इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग
फर्द बदर से शुद्धि की गई जो सही है। खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07
पर वादी द्वारा कब्जा काश्त होना बताया गया है जो स्वयं सिद्ध करे। अतः वादी
याद मय हर्जा खर्चा खारिज करने का श्रम करें। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें
दर पेश है। दिनांक 09.10.2024 को प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 151
0दी0 बाबत् नक्शाट्रेस को दुरूस्त करवाने का इस आशय का पेश किया कि
र्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय में अनुंतोष चाहा कि
दरपत्रावली संख्या 61 दिनांक 14.12.1995 को खसरा नम्बर 517 में से 0.07 है0 भूमि
कम कर अप्रार्थी संख्या दो लगायत नौ के पिता श्रीनारायण व अप्रार्थी संख्या दस
लगायत बारह के पिता कजोड के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई।
जिसका खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 बना दिया। जिसको अप्रार्थी संख्या
दो लगायत बारह ने अप्रार्थी संख्या एक को विक्रय कर दिया, उक्त भूमि को वापस
प्रार्थीगण के नाम से लगाया जावे। जिस पर अप्रार्थी संख्या तेरह तहसीलदार सांगानेर
ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि विक्रय पत्र में जितनी भूमि
प्रार्थीगण ने क्रय की है उतनी भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से अंकित
है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] को विक्रय पत्र
के समय साबिक नक्शाट्रेस के आधार पर विक्रय पत्र [illegible] करवाकर प्रार्थीगण को
कब्जा सुपुर्द किया गया था उसको [illegible] का फायदा
उठाकर अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण [illegible] आने जाने के रास्ते में
तार–बाउण्डरी कर प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। पूर्व में
साबिक नक्शाट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण का आने जाने का रास्ता अर्सेकदीम से चालू
रहा है परन्तु बदरपत्रावली के आधार पर नक्शाट्रेस में गलत तरमीम की गई है उसके
आधार पर प्रार्थीगण साबिक नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शाट्रेस में दुरूस्त किया
जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 517 का नक्शाट्रेस में ली के बाद बट्टा नम्बर से खसरा नम्बर 517/1155 के बाद जो नक्शाट्रेस गा है उसमें पूर्व नक्शाट्रेस से भिन्न तरमीम कर हाल नक्शाट्रेस बनाया गया है नक्शाट्रेस में पिले रंग से दर्शाया गया है को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है। साबिक नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शाट्रेस में तरमीम दुरूस्त होने से को न्याय मिलेगा। साथ ही प्रार्थना पत्र नौयत पर किसी प्रकार का विपरित ही पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, यपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 517 का नक्शाट्रेस में बदरपत्रावली के बाद म्बर 517/1155 के बाद जो नक्शाट्रेस बनाया गया है उसमे पूर्व नक्शाट्रेस से रमीम कर हाल नक्शाट्रेस बनाया गया है जिसको नक्शाट्रेस में पिले रंग से गया है को दुरूस्त किया जाकर मुख्य डामर रोड से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में ाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ते की तरमीम कर हाल नक्शाट्रेस को दुरूस्त जाने की कृपा करे। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

र्थीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 ०० में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये ग्राम ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला ुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 517 का नक्शाट्रेस में बदरपत्रावली के बाद बट्टा र 517/1155 के बाद जो नक्शाट्रेस बनाया गया है उसमे पूर्व नक्शाट्रेस से भिन्न ीम कर हाल नक्शाट्रेस बनाया गया है जिसको नक्शाट्रेस में पिले रंग से दर्शाया है को दुरूस्त किया जाकर मुख्य डामर रोड से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने े के लिए 30 फीट चौडा रास्ते की तरमीम कर हाल नक्शाट्रेस को दुरूस्त किये ने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का वलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि प्रार्थीगण का कथन हा है कि दौराने सैटलमेन्ट बदर पत्रावली संख्या 61 दिनांक 14.12.1995 के द्वारा ब्रसरा संख्या 517 में से 0.07 है0 कम कर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के पिता श्रीनारायण व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 12 के पिता के कजोडमल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई, इस तथ्य की पुष्टि मिसल बंदोबस्त में अंकित नोट से साबित है तथा तहसीलदार द्वारा पेश जवाब में गत खसरा नम्बर 214 रकबा 5—14 बीघा का हैक्टेयर में परिवर्तित रकबा 1.44 है0 ही बनने के कारण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से दर्ज खसरा नम्बर 517 रकबा 0.52 है0 मि[illegible] दर्ज कर दिया जाना बताया है जबकि मिलान क्षेत्रफल में ख[illegible] है0 दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 517 में से 0.07 है0 [illegible] कम कर खसरा नम्बर 517/1155 रकबा 0.07 है0 दर्ज किया है, जिसकी भूप्रबन्ध विभाग द्वारा फर्द बदर से शुद्धि की गई। इस प्रकार प्रार्थीगण के रकबें में कोई परिवर्तन नही किया जाना साबित होता है, बदरपत्रावली से प्रार्थीगण का रकबा कम कर देने से खसरा नम्बर 517 का नया बट्टा नम्बर 517/1155 बनाये जाने नक्शें में तरमीम कर भाग पृथक किया है, प्रार्थीगण हाल खसरा नम्बर 516 व खसरा नम्बर 517 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बदरपत्रावली से खसरा नम्बर 517 का टूकडा किये जाने से प्रार्थीगण की री भूमि आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होना जाहिर होता है, राजस्व में खसरा नम्बर 517 का रकबा कम कर नया खसरा नम्बर बनाया गया तो नक्शे की तरमीम उसी अनुरूप किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का पत्र अन्तर्गत धारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 दी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम ठीकरिया, पटवार हल्का ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 517 का नक्शा ट्रेस में बदर पत्रावली के बाद बट्टा नम्बर 517/1155 के बाद जो नक्शा ट्रेस बनाया गया है को दुरूस्त किया जाकर मुख्य डामर रोड से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए फीट चौडा रास्ते की तरमीम कर हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उसी अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में दुरूस्त किया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:37:08 IST
Reason: SelfAttested